न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 13/2023

अनवान : –

1. शिव नारायण पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. महिपाल सिंह पुत्र रामकुमार जाति राजपूत निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. युवराज सिंह पुत्र रामकुमार जाति राजपूत निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उपं पजीयक नोहर तहसील नोहर।
5. रामस्वरूप पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी उज्जवाल तहसील नोहर।
6. मुकेश पुत्र सादीराम जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 19/03/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 178/178 की कुल 97.8970 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि मुश्तरका होने के कारण से सायल व गैरसायलान का डोल, सींव व लगान से सम्बन्धित विवाद बना रहता है तथा इसलिए सायल विवाद को टालने की गर्ज से अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करवा पाने का अधिकारी का है। रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता संख्या 178/178 के खसरा नं. 44/244/3, 50/2, 50/3 की भूमि जो कि नहर के नजदीक लगती भूमि है को सायल ने काफी मेहनत व धन खर्च करके उपजाऊ व समतल बनाया हुआ है जिस पर सायल काबिज चला आ रहा है। गैरसायलान जो कि काफी तेज तर्रार व्यक्ति है तथा सायल के कब्जा काश्त की अच्छी व समतल भूमि को देखकर उनके मन में लालच आ गया तथा सायल के कब्जा काश्त की भूमि में जबरिया प्रवेश करके काबिज होकर रहन, वैय व मुन्तकिल करने की फिराक में है तथा जबरन सायल के हक हिस्सा की [illegible] होने की धमकी देते है यदि गैरसायल संख्या 1 ता 2 अपने कमसद में [illegible] सायल को अपूर्णिय क्षति होगी तथा लड़ाई झगड़ा व मुकदमें बाजी बढ़[illegible] सायल [illegible]रसायल संख्या 1 त[illegible] जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करा पाने का अधिकारी है वादग्रस्त भूमि का जब तक वि[illegible] ना हो जाये जब

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:14:31 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तक गैरसायल संख्या 1 ता 2 सायल के कब्जा काश्त में प्रवेश ना करे तथा भूमि को रहन, वैय व मुन्तकिल ना करे मौका व रिकार्ड की यथा स्थित बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 178/178 की कुल 97.8970 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 5 व 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की अप्रार्थी स0 5 व 6 द्वारा दिनांक 27.01.2023 को जरिये रजि0 बैयनामा भूमि खरीद की गई है। बैयनामा का नामान्तरण रूकवाने के लिए अप्रार्थी को बिना पक्षकार बनाये प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की क्लीन हैण्ड पेश न ही किया गया है। भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है एवं प्रार्थी संयुक्त खाता मे दर्ज खातेदारान को पाबन्द करवा पाने का अधिकारी नही है क्योकि प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इन्च भूमि पर काबिज रहने का पूर्ण अधिकार है अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी केता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा अच्छी किस्म की भूमि का बिना विभाजन करवाये बेचान करना चाहता है इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की अप्रार्थी स0 5 व 6 द्वारा दिनांक 27.01.2023 को जरिये रजि0 बैयनामा भूमि खरीद की गई है। बैयनामा का नामान्तरण रूकवाने के लिए अप्रार्थी को बिना पक्षकार बनाये प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की क्लीन हैण्ड पेश न ही किया गया है। भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है एवं प्रार्थी संयुक्त खाता मे दर्ज खातेदारान को पाबन्द करवा पाने का अधिकारी नही है क्योकि प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इन्च भूमि पर काबिज रहने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा आरबीजे 2019 पेज न0 373 के न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 178/178 की कुल 97.8970 हैक्ट भूमि के सायल व गैरसायलान मुश्तरका काश्तकार है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:14:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को तथा अप्रार्थी स0 5 व 6 द्वारा जरिये रजि0 बैयनामा भूमि खरीद की गई है तथा माननीय राजस्स्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के द्वारा दिनांक 21.07.2023 के द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.02.2023 को जारी की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को भी खारिज किया जा चूका है। अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 01.02.2023 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/03/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:14:31 IST
Reason: SelfAttested